कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम), देवस्थान विभाग,जयपुर

क्रमांक :– एफ1(35)लेखा/निविदा/धर्मशाला लीज/2022/ A-481 दिनांक :– 22/11/2022

ई–नीलामी सूचना

देवस्थान विभाग के नियंत्रणाधीन राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार मंदिर श्री बलदेव जी परशुरामद्वारा आमेर रोड़, जलमहल के सामने जयपुर में विद्यमान धर्मशाला को 15 वर्ष के लिये संचालन व संधारण प्रकिया स्वरूप लीज/ठेका पर देने हेतु समान प्रकृति के कार्य करने वाले अनुभवी व इच्छुक व्यक्तियो/ फर्मो/कम्पनी से दिनांक 22.12.2022 तक ऑनलाईन ई–प्रोक्योरमेन्ट के माध्यम से ई–बोली आमंत्रित की जाती हैं। बोली लगाने की न्यूनतम आरक्षित दर 803000/– (आठ लाख तीन हजार रूपये) वार्षिक है। नीलामी की अन्य शर्तें एवं विस्तृत जानकारी वेबसाइट www.eproc.rajasthan.gov.in एवं www. sppp.rajasthan.gov.in तथा विभागीय वेबसाइट www. devasthan. rajasthan.gov.in पर देखी/डाउनलोड की जा सकती है।

(रतन लाल योगी)
सहायक आयुक्त (प्रथम),
देवस्थान विभाग, जयपुर

क्रमांक :– एफ1(35)लेखा/निविदा/धर्मशाला लीज/2022/A 482-501 दिनांक :– 22/11/2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है।

1. निजी सचिव माननीय मंत्री महोदया,देवस्थान विभाग, राजस्थान–सरकार जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव महोदया, देवस्थान विभाग, राजस्थान–सरकार जयपुर।
3. संभागीय आयुक्त महोदय, संभाग जयपुर।
4. जिला कलक्टर महोदय, जिला– जयपुर।
5. संयुक्त शासन सचिव महोदय, देवस्थान विभाग, राजस्थान–सरकार जयपुर।
6. जिला सूचना एवं जन संपर्क अधिकारी, सूचना केंद्र जयपुर।
7. आयुक्त महोदया, देवस्थान विभाग राजस्थान उदयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि नीलामी सूचना एवं बिड प्रपत्र विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करवाने का श्रम करावें।
8. सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग बीकानेर/अजमेर/भरतपुर/जोधपुर/ऋषभदेव/कोटा /वृन्दावन/हनुमानगढ/उदयपुर/जयपुर द्वितीय को अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु प्रेषित है।
9. सहायक अभियंता मुख्यालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
10. नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा
11. प्रबन्धक मंदिर श्री बलदेव परशुरामद्वारा आमेर रोड़ जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नीलामी सूचना की प्रति धर्मशाला के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करें।

(रतन लाल योगी)
सहायक आयुक्त (प्रथम),
देवस्थान विभाग, जयपुर

Scanned with CamScanner

कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम), देवस्थान विभाग,जयपुर

क्रमांक :– एफ1(35)लेखा/निविदा/धर्मशाला लीज/2022/A-481 दिनांक :– 22/11/2022

ई–नीलामी सूचना

देवस्थान विभाग के नियंत्रणाधीन राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार मंदिर श्री बलदेव जी परशुरामद्वारा आमेर रोड़, जलमहल के सामने जयपुर में विद्यमान धर्मशाला को 15 वर्ष के लिये संचालन व संधारण प्रकिया स्वरूप लीज/ठेका पर देने हेतु समान प्रकृति के कार्य करने वाले अनुभवी व इच्छुक व्यक्तियो/ फर्मों/कम्पनी से दिनांक 22.12.2022 तक ऑनलाईन ई–प्राक्योरमेन्ट के माध्यम से ई–बोली आमंत्रित की जाती हैं। बोली लगाने की न्यूनतम दर 803000/– रूपये वार्षिक है।

क्र.सं.	धर्मशाला/विश्रांतिगृह का स्थान व अन्य विवरण	अनुमानित राशि (आरक्षित मूल्य)	बोली शुल्क	बोली प्रतिभूति राशि 2%	बिड़ प्रोसेसिंग फीस
1	2	3	4	5	6
1	मंदिर श्री बलदेव जी परशुरामद्वारा आमेर रोड़, जलमहल के सामने जयपुर में स्थित धर्मशाला	803000/– रूपये वार्षिक	1000/– रूपये	16060/– रूपये	500/– रूपये

बोली दस्तावेज बिक्री की दिनांक, समय एवं दस्तावेज के प्रस्तुत करने की विधि	दिनांक 22.11.2022 प्रातः 11 बजे से। बोली प्रस्तुत करने की विधि (Online at Eproc website)
प्री बिड़ मीटिंग की दिनांक समय व स्थान	दिनांक 06.12.2022 समय 03 पी.एम. बजे कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग सिरह ड्योढ़ी बाजार, जयपुर
बोली शुल्क, बोली प्रतिभूति राशि, बिड़ प्रोसेसिंग फीस के डी.डी. कार्यालय में प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि एवं समय	दिनांक 22.12.2022 को समय 06 पी.एम. तक
बोली दस्तावेज भरने (अपलोड) करने की अंतिम दिनांक व समय	दिनांक 22.12.2022 को समय 06 पी.एम. तक
तकनीकी बिड खोले जाने की तिथि	दिनांक 23.12.2022
वित्तीय बिड खोलने की दिनांक	तकनीकी रूप से सफल बोलीदाताओं को वित्तीय बिड खोलने के संबंध में पृथक से सूचना दी जाएगी। वित्तीय बिड सलंग्न प्रपत्र एच में भरी जाएगी।

(रतन लाल योगी)
सहायक आयुक्त (प्रथम),
देवस्थान विभाग, जयपुर

Scanned with CamScanner

ई– नीलामी में भाग लेने की सामान्य शर्ते–

1. नीलामी सूचना वेबसाइट www. sppp.rajasthan.gov.in तथा विभागीय वेबसाइट www. devasthan.rajasthan.gov.in पर देखी/डाउनलोड की जा सकती है। नीलामी में भाग लेने हेतु वेबसाइट www. eproc.rajasthan.gov.in पर द्वि–भाग बोली सम्बन्धी निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण करते हुए, वेबसाइट पर उपलब्ध इलैक्ट्रोनिक फारमेट के माध्यम से ही सम्बन्धित दस्तावेज ऑनलाईन अपलोड एवं बोली दर प्रस्तुत की जा सकती है।
2. बोली इलैक्ट्रोनिक फारमेट में वेबसाइट http:// www. eproc.rajasthan.gov.in पर निर्धारित दिनांक 22.12.2022 एवं समय 6 पी.एम. तक अपलोड की जा सकेगी। नीलामी हेतु निर्धारित तकनीकी मानदण्डों में योग्य पाये गये व्यवसायियों /फर्मों की ही वित्तीय बिड खोली जायेगी।
3. बोलीदाता द्वारा बोली शुल्क, बोली प्रतिभूति राशि तथा बिड़ प्रोसेसिंग शुल्क ई–ग्रास के माध्यम से आनलाईन प्रक्रिया द्वारा भी जमा करवाये जा सकते है।
4. ई–नीलामी सूचना में सारणी के कॉलम 4 व 5 में दर्शाई गई बोली शुल्क व बोली प्रतिभूति राशि के अलग–अलग बैंकर्स चैक/डी.डी. सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग जयपुर के नाम से जयपुर में भुगतान योग्य बनवाने होंगे। तथा सारणी के कॉलम संख्या 6 में अंकित बिड़ प्रोसेसिंग फीस का डिमाण्ड ड्राफ्ट मैनेजिंग डायरेक्टर आर.आई.एस.एल. जयपुर के पक्ष में जयपुर में भुगतान योग्य बनवाना होगा। उक्त तीनों डी.डी./बैंकर्स चैक की प्रति आनलाईन अपलोड करनी होगी। ऑनलाईन अपलोड करने के उपरान्त बोलीदाता द्वारा बोली शुल्क , बोलीप्रतिभूति राशि व बिड़ प्रोसेसिंग फीस के मूल डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक निर्धारित दिनांक 22.12.2022 को समय 6 पी.एम. तक अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से जमा कराने आवश्यक है। निर्धारित दिनांक एवं समय पर उक्त डी डी/बैंकर्स चैक प्राप्त नहीं होने की दशा में सम्बन्धित बोलीदाता की ऑनलाईन बोली को अस्वीकार कर दिया जावेगा।
5. किसी भी बोली को स्वीकार करने एवं बिना कारण बताये निरस्त करने के समस्त अधिकार आयुक्त देवस्थान विभाग राजस्थान उदयपुर के पास सुरक्षित है।
6. निर्धारित दिनांक को बोली खोलने के उपरान्त प्रस्तावित दर पर कार्य में असमर्थता या दर में संशोधन स्वीकार्य नहीं होगा। ऐसा करने पर सम्बन्धित बोलीदाता की बोली प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जावेगी एवं आगामी बोली से वंचित/अयोग्य आदि की नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
7. नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने हेतु अन्य आवश्यक निर्देश।

   (अ) इस कार्य में रूचि रखने वाले एव नीलामी में भाग लेने के इच्छुक व्यक्तियों/फर्मों/कम्पनियों को वेबसाईट http:// www. eproc.rajasthan.gov.in पर रजिस्टर करवाना होगा। ऑन लाइन वोली में भाग लेने के लिए डिजिटल सार्टिफिकेट, इन्फोरमेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत प्राप्त करना होगा जो इलैक्ट्रोनिक बोली में लॉगिन/साईन करने हेतु काम आयेगा। जिन वोलीदाताओं के पास पूर्व में वैध डिजिटल सार्टिफिकेट है, उन्हें नया डिजिटल सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नही है।

Scanned with CamScanner

(ब) बोलीदाताओं को बोली प्रपत्र इलैक्ट्रोनिक फॉरमेट (शुल्क, तकनीकी, वित्तीय आदि) में वेबसाइट पर डिजिटल साईन के साथ प्रस्तुत करना होगा। अन्यथा बोली अमान्य होगी। कोई भी नीलामी प्रस्ताव भौतिक रूप में स्वीकार नही होगा।

(स) इलैक्ट्रोनिक बोली प्रपत्र को अपलोड करने से पूर्व वोलीदाता यह सुनिश्चित कर लेवे कि नीलामी प्रपत्र से सम्बन्धित सभी आवश्यक दस्तावेजों यथा (शुल्क के डी.डी./बैंकर्स चैक की फोटोप्रतियां, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पंजीयन प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, जी.एस.टी. प्रमाण पत्र, गत तीन वर्ष का टर्नओवर विगत तीन वर्षो का आई. टी. आर. सी.ए. द्वारा अंकेक्षित आय–व्यय खाते एवं बैलेंस शीट व अन्य वांछित दस्तावेज इत्यादि।) की स्वयं हस्ताक्षर युक्त स्कैन प्रतिलिपि अपलोड़ कर दी गई है।

(द)निर्धारित दिनांक व समय तक कोई भी बोलीदाता अपने वोली दस्तावेज इलैक्ट्रोनिकली अपलोड करने में किसी कारण से असफल हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी विभाग की नहीं होगी।

(र) बोलीदाता द्वारा बोली के प्रपत्रों में आवश्यक सभी कॉलमों को सम्पूर्ण रूप से भरकर ऑनलाईन किया जाना आवश्यक है।।

8. उक्त नीलामी में GF&AR,RTPPAct 2012 & Rules 2013, विभागीय धर्मशाला नीति एवं समय–समय पर जारी अन्य विभागीय नियम व निर्देश स्वतः लागू होंगे।

हस्ताक्षर मय सील बोलीदाता

Scanned with CamScanner

श्री बलदेव परशुरामद्वारा मंदिर में स्थित धर्मशाला को लीज/अनुबन्ध पर देने के लिए की जाने वाली नीलामी की अन्य शर्तें :–

1. देवस्थान विभाग के नियंत्रणाधीन मंदिर श्री बलदेव जी परशुरामद्वारा आमेर रोड़, जलमहल के सामने जयपुर में स्थित धर्मशाला को 15 वर्ष के लिए लीज पर संचालन हेतु ई–बोली आमंत्रित की जा रही है। धर्मशाला की अधिकतम लीज अवधि 15 वर्ष होगी जिसमें एक वर्ष परिवीक्षाकाल के अंतर्गत माने जायेगे। परिवीक्षाकाल में वोलीदाता का कार्य संतोषजनक पाये जाने पर ही समय बढ़ाया जा सकेगा।
2. **लीज राशि का भुगतान :–** सफल बोलीदाता को स्वीकृत बोली राशि की 15 वर्ष की लीज राशि की 5 प्रतिशत धरोहर राशि (निविदा के साथ प्रस्तुत अमानत राशि को शामिल करते हुए) जमा करवानी होगी। तथा तीन माह की अनुमोदित लीज राशि अग्रिम रुप देय होगी। इसके आगे कुल वार्षिक लीज राशि में से प्रत्येक 3 माह की राशि भी अग्रिम रुप देय होगी। निर्धारित राशि देय होने के पूर्व माह की 10 तारीख तक जमा कराना अनिवार्य होगा। लीज राशि अग्रिम रुप से समय पर जमा नही करने पर इस कार्यालय द्वारा लीजधारक को नोटिस जारी किया जायेगा। नोटिस प्राप्त होने के उपरान्त भी राशि जमा नही करने पर लीज समाप्ति बाबत् यह कार्यालय अपनी अनुशंषा आयुक्त देवस्थान विभाग राजस्थान–उदयपुर को भेजेगा। आयुक्त लीज धारक का पक्ष सुनकर यदि यह अग्रिम राशि जमा नहीं होती है, तो लीज अनुबन्ध समाप्त कर सकेगा। समय पर अग्रिम राशि जमा नही करवाये जाने पर GF&AR प्रावधानों के अनुसार ब्याज वसूलनीय होगा।

1. **लीज राशि में वृद्धि :–**एक बार संचालन हेतु बोली की जो राशि और अवधि तय होगी, उस अवधि को आगे नही बढाया जाएगा। यदि किसी आकस्मिक या प्रशासनिक कारण से आगामी बोली की प्रकिया पूर्ण नहीं हो पाती, तो रेंट कंट्रोल एक्ट के विद्यमान प्रावधान अनुसार वार्षिक किराये में 5 प्रतिशत किराये में वृद्वि के प्रावधान को मार्गदर्शक मानते हुए वर्तमान लीज धारक द्वारा देय राशि पर 5 प्रतिशत वृद्धि करते हुए आगामी लीज प्रक्रिया पूर्ण होने तक वर्तमान लीज धारक को संचालन की अनुमति दी जा सकेगी।
2. वार्षिक लीज राशि में वृद्धि– अनुमोदित वार्षिक लीज राशि में प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत की दर से वृद्धि होगी। लीज अनुमोदन के 10 वर्ष उपरान्त इस 50 प्रतिशत बढोतरी को मूल लीज राशि में जोडा जाएगा तथा 11वें वर्ष से इस जुडी हुई राशि में 5 प्रतिशत वृद्धि लागू होगी।

Scanned with CamScanner

3. **धर्मशाला में व्यवस्था संबंधी प्रावधान :–**

1. सम्पदा जैसी स्थिति में हो, वैसी स्थिति में दी जाएगी। विभाग किसी प्रकार की मरम्मत परिवर्तन आदि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। विभाग द्वारा अनुबंधकर्ता को संभलाई जाने वाली सामग्री की लिखित सूची प्रदान की जाएगी, जिसे उसे अच्छी स्थिति में वापस करना होगा। इसमें कन्ज्यूमेबल आइटम्स की पृथक से सूची बनायी जा सकेगी, जिसे वेव–ऑफ किया जा सकेगा। लीज धारक द्वारा यदि सम्पदा का मूल्य सवंर्धन किया जाता है तो उस पर विभाग का अधिकार रहेगा जिसके लिए लीज धारक को कोई मूल्य विभाग द्वारा नही चुकाया जावेगा।
2. अनुबंधकर्ता को सम्पदा के साइन बोर्ड के उपर स्पष्ट रुप से देवस्थान विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम साईज की पट्टी पर **'देवस्थान विभाग, राजस्थान सरकार की सम्पदा'** लिखना आवश्यक होगा। देवस्थान विभाग द्वारा सम्पदा का समुचित नामकरण किया जा सकेगा।
3. अनुबंधकर्ता सम्पदा के स्वरुप में कोई भी परिवर्तन एवं परिवर्धन विभाग की लिखित अनुमति से ही करायेगा। इसके लिये सहायक आयुक्त के मार्फत आयुक्त को व्यक्तिशः आवेदन करना होगा। सहायक आयुक्त आवेदन को अधिकतम 15 दिवस में आयुक्तालय प्रेषित करेगा। आवेदन करने के 60 दिवस में अनुमति मिलने/नही मिलने की दशा में **स्वतः अनुमति मानी जायेगी** किन्तु स्वतः अनुमति तभी प्रभावी होगी जब इसकी सूचना लीजधारक 60 दिवस की समाप्ति पर सहायक आयुक्त को दे देगा। सम्पदा की साधारण रंगाई, सफेदी एवं मरम्मत अनुबंधकर्ता स्वयं के व्यय पर करा सकेगा। अनुबधकर्ता को सम्पदा की समुचित साफ–सफाई के साथ–साथ परिसर में वृक्षारोपण /गमले में फूल लगाने और उनकी देखभाल की व्यवस्था करनी होगी। आवश्यकतानुसार रुफ वाटर/रेन वाटर हार्वेस्टिंग की सुविधा अनुबन्धकर्ता की स्वयं की लागत पर विकसित करने की सुविधा दी जा सकेगी।
4. अनुबंधकर्ता को सम्पदा में निम्न सुविधायें रखनी आवश्यकता होंगी :–
    - रिसेप्शन काउंटर उपयुक्त सुविधा व मानव संसाधन सहित
    - शिकायत/ फीडबैक पुस्तिका
    - शिकायत/ फीडबैक पेटिका
    - कमरे, भोजन व अन्य सुविधा/ सामग्री की दर (प्रमुखता से दृश्य रुप में)

5. अनुबंधकर्ता द्वारा यदि अतिरिक्त सुविधा के रुप में कोई सामग्री या सेवा प्रदान की जाती है तो वह इस हेतु स्वयं के स्तर पर दर न रखकर विभाग से अनुमोदित दर ही रखेगा। एक्सट्रा बेड के लिए कमरे के किराए का एक चौथाई वसूल किया जा सकेगा। डोरमेटरी हेतु एक्सट्रा बेड का कोई प्रावधान नहीं होगा। विभाग द्वारा अधिकतम तय किराया निम्नानुसार है।तथा यदि शासकीय नियमानुसार कोई देय है तो वह इसमें जोडा जा सकेगा।

Scanned with CamScanner

		प्रथम 5 वर्ष तक	5 वर्ष उपरान्त (10 वर्ष तक)	10 वर्ष उपरान्त
A	डोरमेट्री	150/– प्रतिदिन	200/– प्रतिदिन	250/– प्रतिदिन
B	सामान्य रूम	500/– प्रतिदिन	625/– प्रतिदिन	750/– प्रतिदिन
C	वीआईपी/डीलक्स/सुपर डीलक्स	4000/– प्रतिदिन	5000/– प्रतिदिन	6000/– प्रतिदिन

6. प्रत्येक रुकने वाले यात्री को निम्न सुविधा बिना किसी अतिरिक्त लागत के देय होगी :–
   - प्रति बेड एक धुली हुई चादर व बेडशीट
   - ब्लेंकेट या रजाई
   - एक बडा तौलिया और दो छोटे तौलिए
   - बाथरुम सोप
   - बाथरुम के लिए आवश्यक बाल्टी, मग और पायदान (फुट–रंग)

   उक्त के अतिरिक्त अनुबंधकर्ता स्वयं के स्तर पर अतिरिक्त सामग्री निःशुल्क सामग्री प्रदान करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।
7. अनुबंधकर्ता स्वयं के स्तर पर धर्मशाला में निवास करने वालों के लिए भोजन सामग्री की व्यवस्था करने हेतु स्वतंत्र होगा परन्तु धार्मिक मर्यादाओं के विरुद्ध किसी भी प्रकार का व्यवसाय जैसे, मांस, मदिरा आदि का व्यवसाय परिसर में नहीं करेगा। कोई भी अतिरिक्त व्यवसाय अथवा कार्य चालू करने से पूर्व विभाग की सहमति लेना आवश्यक होगा। अनुबंधकर्ता द्वारा परिसर में किसी अमर्यादित सामग्री अथवा कार्यवाही को स्थान नहीं देना होगा।
8. देवस्थान विभाग अपनी विभागीय प्रचार सामग्री व सुविधा सम्पदा में रख सकेगा, जिसे अनुबंधकर्ता को बिना बाधा के सहजदृश्य रुप में लगाना होगा। आवश्यकतानुसार विभाग सम्पदा में दानपात्र या अपनी रसीद भी रखवा सकता है, जिसकी राशि केवल देवस्थान विभाग की होगी। इसके लिए विभाग अपनी अलग प्रक्रिया निर्धारित कर सकता है।
9. विभाग की उक्त वर्णित सम्पदा एवं आस–पास स्थित विभाग की अन्य सम्पदा को अनुबंधकर्ता किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुचाएगा तथा सम्पदा को सुरक्षित रखेगा। अनुबंधकर्ता राज्य सरकार अथवा देवस्थान विभाग द्वारा बनाई विभागीय नीति से बाध्य रहेगा। राज्य सरकार एवं आयुक्त, देवस्थान विभाग द्वारा किराये पर दिये जाने की स्वीकृति में यदि समय की आवश्यकता के अनुसार अन्य कोई शर्त शामिल की जाएगी तो अनुबन्धकर्ता उस शर्त को मानने के लिए बाध्य रहेगा।
10. राज्य सरकार, जयपुर विकास प्राधिकरण, नगर निगम जयपुर हैरिटेज/ग्रेटर या अन्य किसी विभाग/संस्था द्वारा यदि अनुबंधित सम्पदा पर कोई शुल्क या कर लगाया जाता है, तो अनुबंधकर्ता को लीज राशि के अतिरिक्त उसका भुगतान करना होगा। बोली के उपरांत किसी प्रकार से आये व्यवधान या कराधान के संबंध में देवस्थान विभाग व अनुबंधकर्ता के मध्य नियमानुसार कोई समझौता नही किया जा सकेगा। बिजली, पानी के बिल का भुगतान भी अनुबंधकर्ता को करना होगा तथा लीज अवधि पूर्ण होने पर बकाया नही का प्रमाण–पत्र (NO DUES) पेश करने पर ही अमानत राशि लौटाई जायेगी।

Scanned with CamScanner

11. सम्पदा में बोली के उपरान्त अनुबन्धकर्ता सम्पदा को किसी भी अन्य व्यक्ति को सबलेट नहीं करेगा। यदि अनुबंधकर्ता ने शर्तों की अवहेलना की तो विभाग की ओर से नियमानुसार बेदखली की कार्यवाही कर दी जाएगी।

4. **बोली की शर्तें :–**

1. **बोलीदाता की पात्रता व आर्थिक स्थिति** :–बोलीदाता को बोली के समय अन्य विभागीय सूचना के साथ–साथ आवश्यक रुप से अपना आधार नम्बर, पैन नम्बर, बैंक खाता विवरण, पत्र व्यवहार का पता, मोबाईल नंबर एवं ई–मेल आई.डी. देना होगा। किसी तथ्य अथवा सूचना को छिपाने या गलत रुप में प्रस्तुत करने पर नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी। बोली में भाग लेने के लिए बोलीदाता का न्यूनतम वार्षिक टर्न ओवर उस सम्पदा की रिजर्व प्राइस के दोगुने के बराबर होना आवश्यक होगा। अर्थात बोलीदाता की वार्षिक आय 16 लाख रूपये से अधिक होना आवश्यक है। अन्यथा वह तकनीकी रूप से अयोग्य माना जायेगा। लीज की राशि की सुरक्षित वसूली के क्रम में बोलीदाता से पिछले तीन वर्ष की आयकर का रिटर्न एवं सी.ए. द्वारा अंकेक्षित आय–व्यय खाते एवं बैलेन्स शीट की प्रतियां तथा 5 प्रतिशत धरोहर राशि नगद/एफ.डी.आर/बैंक गारन्टी के रूप में जमा करवानी होगी। यदि कोई पार्टनरशिप फर्म बोली लगाती है, तो बोली लगाते समय बोलीदाता को पंजीकृत पार्टनरशिप डीड पेश करनी होगी, अन्यथा बोली में भाग नहीं ले सकेगा।
2. बोलीदाता को पिछले तीन वर्षों में किसी भी राजकीय उपक्रम, निगम, राजकीय विभाग, बोर्ड आदि के द्वारा ब्लैक लिस्टेड़ नहीं होना चाहिये। इसके लिए बोलीदाता को 50 रूपये के नॉन–ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर स्वप्रमाणित शपथ देना होगा। उक्त शपथ पत्र बोली के साथ ऑनलाईन अपलोड़ करना होगा। तथा मूल शपथ पत्र की प्रति बोली की अंतिम तिथि तक इस कार्यालय में जमा करवानी होगी।
3. सम्पदा की बोली लगाने वाले बोलीदाता को बोली लगाने से पूर्व निर्धारित अमानत राशि जमा करानी होगी। इस हेतु बोली से पूर्व नियमानुसार न्यूनत्तम बोली दर का 2 प्रतिशत अमानत राशि वसूल की जायेगी। बोली हेतु असफल रहने पर नियमानुसार राशि वापस की जाएगी। सफल बोलीदाता को अमानत राशि के अतिरिक्त धरोहर राशि स्वीकृत बोली राशि की 15 वर्ष की लीज राशि की 5 प्रतिशत के बराबर (अमानत राशि को समायोजित करते हुए) जमा करानी होगी जो अवधि पूर्ण होने पर अदेयता प्रमाण–पत्र पेश करने पर लौटाई जा सकेगी।
4. सफल बोलीदाता को 3 माह की अग्रिम राशि तीन दिवस में जमा करवानी होगी, अन्यथा धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी।
5. अधिकतम बोली (1 करोड़ से कम वार्षिक) कों स्वीकृत करने अथवा नही करने का अधिकार आयुक्त, देवस्थान विभाग, राजस्थान उदयपुर को होगा 1 करोड़ से अधिक की बोली स्वीकृत/अस्वीकृत राज्य सरकार स्तर से की जावेगी। प्रस्ताव की स्वीकृति नहीं होने की स्थिति में बोलीदाता को अमानत राशि लौटा दी जाएगी, लेकिन उस पर किसी प्रकार का कोई ब्याज देय नहीं होगा।
6. अधिकतम वोलीदाता के नाम सम्पदा देने की स्वीकृति प्राप्त होने पर जरिये पत्र उनको सूचित किया जाएगा कि वह आकर सम्पदा का नियमानुसार कब्जा प्राप्त करें। यदि उक्त पत्र अधिकतम बोलीदाता द्वारा नहीं लिया जाएगा, तो उसके द्वारा

Scanned with CamScanner

सूचित मोबाईल नम्बर, ई–मेल आई डी पर सूचना प्रेषित करते हुए पत्र सम्पदा पर चस्पा कर दी जाएगी कब्जा पत्र तथा सम्पदा पर चस्पा करने पर नोटिस निविदादाता को तामील होना माना जाएगा तथा विभागीय वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा, फिर भी पत्र में वर्णित अवधि में सम्पदा का कब्जा प्राप्त नहीं किया गया तो यह मान लिया जाएगा कि वह सम्पदा किराये पर नहीं लेना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में उनके द्वारा जमा कराई गई तीन माह की अग्रिम राशि जब्त करके सम्पदा पुनः नीलाम की जाएगी।

7. सम्पदा लीज पर देने की सक्षम स्वीकृति की सूचना के पश्चात् सफल बोलीदाता को 15 दिवस के भीतर अनुबंध पत्र निष्पादित करना आवश्यक होगा। निर्धारित अवधि में अनुबंध पत्र निष्पादित नहीं करने पर सफल बोलीदाता के रुप में उसका हक समाप्त हो जाएगा तथा उसकी धरोहर व अग्रिम जमा राशि जब्त हो जाएगी एवं विभाग नये सिरे से नीलामी प्रक्रिया प्रारम्भ कर सकेगा अथवा सम्पदा का उपयोग अन्य विकल्प के रुप में कर सकेगा। अनुबंध पत्र लिखने पर ही सम्पदा का कब्जा दिया जावेगा। अनुबंध पत्र का पंजीयन सफल बोलीदाता को स्वयं के खर्चे से कराना होगा।
8. अनुबंधकर्ता को उक्त लीज राशि के अनुरुप दिये जाने वाले निर्धारित कर (जीएसटी या अन्य राजकीय शुल्क इत्यादि) का भुगतान स्वयं करना होगा। इसमें किसी भी देयता का उत्तरदायी वह स्वयं होगा।
9. अनुबंधकर्ता को नियमानुसार देय राशि विभाग के खाते में ऑनलाईन अथवा चैक के रुप में अथवा विशेष रुप में निर्दिष्ट किये जाने पर मंदिर/संस्था के प्रबंधक के पास अथवा सहायक आयुक्त, (प्रथम) देवस्थान जयपुर के यहॉ नकद अनिवार्य रुप से जमा करानी होगी, अन्यथा बकाया राशि पर 12 प्रतिशत वार्षिक प्रतिशत की दर से ब्याज राशि की वसूली की जाएगी तथा अनुबंधकर्ता को बेदखली करने की कार्यवाही भी देवस्थान विभाग कर सकेगा।
10. अनुबंधकर्ता द्वारा बिजली, पानी इत्यादि का कनेक्शन विभाग की अनुमति से स्वयं के खर्चे पर लेना होगा तथा इसके बिल की राशि का भी स्वयं को ही भुगतान करना होगा। अनुबंध समाप्ति के समय अनुबंधकर्ता को नो ड्यूज प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उससे राशि वसूली के साथ–साथ दंडात्मक कार्यवाही की जा सकेगी। अनुबन्ध अवधि के दौरान यदि समय पर उक्त राशि का भुगतान नहीं पाया गया, तो भी उससे वसूली के साथ–साथ दंडात्मक कार्यवाही की जा सकेगी।
11. यदि बोलीदाता निर्धारित समय पर सम्पदा खाली नहीं करता है या उसकी सम्पत्ति को क्षति पहुंचाता है या बोली की शर्तों का उल्लंघन करता है तो उसकी अग्रिम जमा राशि जब्त करते हुये उसमे हुई क्षति की वसूली हेतु उसके विरुद्ध विधि अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।
12. यदि सम्पदा के क्षेत्र में किसी राजकीय प्रावधान पर अथवा अपवाद स्वरूप परिस्थितियों में देवस्थान विभाग द्वारा बोली अवधि में उक्तानुसार अनुबंध समाप्त किया जा सकता है, इस स्थिति में अनुबंध कर्ता द्वारा कोई अतिरिक्त राशि जमा की गई होगी तो वह बिना ब्याज के वापिस कर दी जाएगी। उक्त कार्यवाही पर निविदादाता/बोलीदाता किसी प्रकार का दावा करने या क्षतिपूर्ति पाने का हकदार नहीं होगा।

Scanned with CamScanner

13. यदि विभाग की अनुमति के पश्चात भी अगर नगर निगम/विकास प्राधिकरण या राज्य सरकार द्वारा नियमों के व्यतिक्रम के कारण आपत्ति व्यक्त की गई, तो इस संबंध में सम्पदा संबंधी प्रावधानों एवं नियमों का अवलोकन कर उचित निर्णय लिया जाएगा। अनुबंधकर्ता द्वारा कारित त्रुटिके लिए वह स्वयं उत्तरदायी होगा।
14. अनुबंध पत्र में वर्णित किसी भी शर्त का उल्लघंन करने पर अनुबंधकर्ता लीजधारक के विरुद्ध धर्मशाला से बेदखल करने हेतु देवस्थान विभाग द्वारा **राजस्थान अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली अधिनियम, 1964** के अन्तर्गत कार्यवाही की जाकर धर्मशाला की बकाया राशि की वसूली एवं कब्जा वापस लेने की कार्यवाही की जाएगी।
15. अनुबन्ध लीज की अवधि में अनुबंधकर्ता लीजधारक की मृत्यु हो जाने की स्थिति में विधिक वारिसान संचालन किया जा सकेगा तथा उनके इच्छुक नही होने पर विभाग धर्मशाला का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी होगा किन्तु बकाया किराया, कर, शुल्क इत्यादि हेतु विधिक वारिसान उत्तरदायी होगा किन्तु किसी भी स्थिति में किसी भी लीजधारक/विधिक वारिसान को आगे सबलेट करने का अधिकार नहीं होगा।
16. यदि अनुबंधकर्ता लीजधारक धर्मशाला को निर्धारित अवधि के पूर्व खाली करना चाहेगा, तो उसके लिए यह आवश्यक होगा कि वह सम्पदा खाली करने के न्यूनतम 6 माह पूर्व इसकी लिखित सूचना संबंधित अधिकारी को देगा, अन्यथा उसे ब्लैक लिस्ट करते हुए समस्त राशि की वसूली की कार्यवाही की जायेगी। अनुबंधकर्ता लीजधारक को यह सुविधा 1 वर्ष के उपरान्त ही प्राप्त होगी।
17. देवस्थान विभाग के अधिकारी द्वारा किसी भी समय सम्पदा और उसके संचालन का निरीक्षण किया जा सकेगा। त्रुटि पाए जाने पर उसे नोटिस देते हुए यथाआवश्यक अनुबन्ध निरस्त करने अथवा शास्ति लगाने या दोनों की कार्यवाही की जा सकेगी।
18. आकस्मिक कार्यों यथा बाढ राहत, चुनाव, महामारी आदि की दशा में परिसर संबंधित जिला कलेक्टर अथवा देवस्थान विभाग द्वारा अस्थाई रुप से अधिगृहित किया जा सकेगा, जिसका पृथक से किराया देय नही होगा, परन्तु अवधि जिसके लिए परिसर अधिगृहीत किया गया, उतने दिन या माह की गणनानुसार देय राशि देवस्थान विभाग प्राप्त नहीं करेगा।
19. अनुबन्ध पत्र के निष्पादन में देय स्टॉम्प–रजिस्ट्री शुल्क और जो भी कानूनी व्यय होगा, उस सारे व्यय की राशि अदा करने का दायित्व अनुबंधकर्ता लीजधारक का होगा।
20. आयुक्त, देवस्थान विभाग आवश्यकतानुसार सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के अध्यधीन बोली की शर्ते राज्य सरकार की पूर्वानुमति से जोड/हटा सकते है।
21. निविदा केवल बलदेव परशुराम द्वारा मंदिर परिसर में स्थित धर्मशाला भवन के सम्बन्ध में ही जारी की गई है। सफल बोलीदाता धर्मशाला परिसर के अतिरिक्त मंदिर प्रांगण का उपयोग नही कर सकेगा। धर्मशाला में प्रवेश एवं निकास धर्मशाला के सामने वाले गेट से ही रहेगा। अन्य किसी भी रास्ते तथा मंदिर के मुख्यद्वार से धर्मशाला में आगंतुको की आवाजाही पर पूर्णतः प्रतिबन्ध होगा।

Scanned with CamScanner

22. धर्मशाला वर्तमान में जिस अवस्था में है उसी अवस्था में सफल बोलीदाता को सम्भलाई जावेगी। देवस्थान विभाग द्वारा धर्मशाला में कोई भी मरम्मत कार्य, नल व बिजली फिटिंग, पानी की टंकी रखवाना, पेयजल व्यवस्था आदि अन्य कार्य नही करवाया जावेगा। उक्त समस्त आवश्यक कार्य करवाने की पूर्ण जिम्मेदारी सफल बोलीदाता की ही होगी। इस पर व्यय होने वाली राशि सफल बोलीदाता द्वारा ही वहन की जावेगी।

23. मंदिर के मुख्य द्वार के दोनों साईड में बनी हुई दुकानों पर पहले की तरह देवस्थान विभाग का कब्जा रहेगा। सफल बोलीदाता का इन दुकानों से कोई सम्बन्ध नही रहेगा।

24. सफल बोलीदाता धर्मशाला/सम्पदा के मूल स्वरूप में कोई परिवर्तन नही करेगा। और उक्त धर्मशाला के पूर्ण भाग को अथवा आंशिक भाग को Sub let भी नही कर सकेगा।

25. धर्मशाला के सामने बिजली का एक जनरेटर रखा हुआ है जो उद्योग विभाग का है। सफल बोलीदाता का उस जनरेटर पर कोई अधिकार नही होगा । तथा सफल बोलीदाता जनरेटर आदि की व्यवस्था अपने संसाधनों से ही करेगा।

(रतन लाल योगी)
सहायक आयुक्त (प्रथम),
देवस्थान विभाग, जयपुर

Scanned with CamScanner

राजस्थान सरकार
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम), देवस्थान विभाग,जयपुर
ई–नीलामी सूचना
तकनीकी बिड प्रपत्र

1	बिड आमंत्रित करने वाले विभाग का नाम	सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग जयपुर
2	बिड का सन्दर्भ UBN (Unique bid number)	
3	कार्य का विवरण	मंदिर श्री बलदेव जी परशुरामद्वारा आमेर रोड़, जलमहल के सामने स्थित धर्मशाला को संचालन/संधारणस्वरूप लीज पर दिया जाना।
4	लीज की अनुमानित राशि	803000/– वार्षिक
5	बोलीदाता का विवरण नाम मय पता..... टैलिफोन न. मय एस.टी.डी कोड फेक्स न..... मोबाईल नम्बर एवं. ई–मेल आइडी ..... वैब साईट.....	
6	बिड का प्रकार Single-Stage: two part (cover) open competitive e-bid procedure at http://eproc.rajasthan.gov.in	
7	बिड प्रपत्र की लागत (बोली शुल्क)	सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग जयपुर के पक्ष में कैश रसीद न./ईग्रास चालान नं./डी.डी. नं./बी.सी. नं.....दिनांक.....राशि रूपये.....बैंक ब्रांच का नाम..... (डी.डी. मूल ही संलग्न करना होगा)
8	बोली प्रतिभूति राशि	सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग जयपुर के पक्ष में डी.डी. नं.....दिनांक.....राशि रूपये.....बैंक ब्रांच का नाम..... (डी.डी. मूल ही संलग्न करना होगा)
9	बिडर्स का पंजीयन सम्बन्धित विवरण Constitution of the firm individual whether/proprietorship/ partnership/company	आस्थिति (कम्पनी/संस्था/फर्म/कार्पोरेट बॉडी/वैयक्तिक रूप से पंजीकृत आदि) व्यक्तिगत
	(a) In case of proprietorship firm:-	नाम..... पिता का नाम..... पता..... पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक..... पंजीयन अधिकारी का पता..... पंजीयन की वैद्यता.....
	(b) In case of Individual:-	नाम..... पिता का नाम.....

Scanned with CamScanner

		पता..
	(c) In case of partnership firm (Of all the partners (Note-Enclose the Registration certificate of firms of its attested copy/ photocopy of partnership Deed)	नाम.. पिता का नाम... पता.. पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक......................... पंजीयन अधिकारी का पता................................ पंजीयन की वैद्यता...
	(d) In case of company (Note-Enclose the egistration certificate of company)	Name & Address of the all directors of the company पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक......................... पंजियन अधिकारी का पता................................ पंजियन की वैद्यता...
10	प्रोसेसिंग फीस	Managing director RISL Payble at jaipur के नाम राशि 500/–
11	जी.एस.टी. आई.एन. पंजीयन क्रमांक	
12	आयकर खाता संख्या एवं पेन नं.	
13	अनुभव– ITR & CA Audit Balance Sheet (टर्नओवर अनुमानित बोली राशि से दुगुनी होना आवश्यक है।	वित्तीय वर्ष– दस्तावेज एनेक्सर पर संलग्न हैं। 2019–20 का एनेक्सर नं............................... 2020–21 का एनेक्सर नं............................... 2021–22 का एनेक्सर नं...............................
14	पिछले 3 वित्तीय वर्षो में आयकर जमा का विवरण	वित्तीय वर्ष– निम्न आयकर जमा कराया है एवं कर निर्धारण आदेश की प्रति सलग्न है। 2019–20 का एनेक्सर नं............................... 2020–21 का एनेक्सर नं............................... 2021–22 का एनेक्सर नं...............................
15	बिडर के बैक खाते का विवरण	खाता संख्या... बैक/ब्रांच का नाम... आईएफएससी कोड..
16	प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम ,पता, फोन नं. एवं मेल आई डी	

दिनांकः **हस्ताक्षर (बोलीदाता)**

Scanned with CamScanner

कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम), देवस्थान विभाग,जयपुर
वित्तीय बोली

SCHEUDLE "H "

क्र.सं.	मद संख्या	मद विवरण	अनुमानित राशि (आरक्षित मूल्य)	बोलीदाता द्वारा प्रस्तावित की जाने वाली वर्णित किराया राशि (Exclusive of all taxes)
1	1	मंदिर श्री बलदेव जी परशुरामद्वारा आमेर रोड़, जलमहल के सामने स्थित धर्मशाला को संचालन/संधारणस्वरूप लीज पर दिया जाना।	803000/– वार्षिक	नोटः– वित्तीय बोली इस प्रपत्र में नही भरी जावेगी। वित्तीय बोली ओनलाईन बी. ओ .क्यू. में भरी जावेगी।

बिडर के हस्ताक्षर मय दिनांक
कम्पनी का नाम(यदि कोई हो तो)
बिड हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी का नाम विवरण सहित
मोबाईल नं.
मेल आईडी

नोट :–

1. प्रस्तावित दर ईप्रोक पोर्टल पर ऑनलाईन इन्द्राज करें। दर वार्षिक आधार पर ही मान्य होगी।
2. होटल संचालन पर लगने वाले सभी प्रकार के कर प्रभारो एवं अनुज्ञप्तियों इत्यादि पर लगने वाले प्रभारो की समस्त जिम्मेदारी बोलीदाता की होगी।
3. वित्तीय बोली मे बोलीदाता द्वारा दरें हजार के गुणक में ही अंकित करनी हैं।

हस्ताक्षर मय सील बोलीदाता

Scanned with CamScanner